रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 635] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 3, 2012/चैत्र 14, 1934
No. 635] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 3, 2012/CHAITRA 14, 1934

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2012

**का.आ. 725(अ).**—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए हड्डियों का चूर्ण, ओसीन और जिलेटिन को निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन लाने के लिए बनाए गए प्रस्ताव भारत के राजपत्र, भाग - 2, खंड - 3, उपखंड - (ii) तारीख 9 नवम्बर, 2011 जिसे भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं. का0आ0 2521(अ) तारीख 9 नवम्बर, 2011 में प्रकाशित किए गए थे,

और उन सभी प्रभावित व्यक्तियों से उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे,

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 9 नवम्बर, 2011 को उपलब्ध करा दी गयी थी,

और उक्त प्रारूप पर जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे,

और, यह आवश्यक है कि आयातकर्ता देशों के उच्चतम क्वालिटी मानकों और नियत स्वास्थ्य अपेक्षाओं को बनाए रखा जाए तथा जो राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विहित मानकों को सम्मिलित करेंगे;

और, आयातकर्ता देशों की अपेक्षाओं के संदर्भ में, मानीटरिंग प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे उपबंध बनाए जाएंगे जो सभी उपरोक्त शर्तों को पूरा करते हों,

और, हड्डियों का चूर्ण, ओसीन और जिलेटिन के उत्पादन, भंडारण और परिवहन के लिएं स्वास्थ्य अपेक्षाएं अधिकथित की जानी चाहिए,

और प्रसंस्करणकर्ता का यह प्राथमिक दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि हड्डियों का चूर्ण , ओसीन और जिलेटिन इस आदेश में अधिकथित स्वास्थ्य अपेक्षाओं को पूरा करेंगे,

और, केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजनों के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए हैं और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद को भेज दिया है ।

अतः केन्द्रीय सरकार की निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद से परामर्श करने के पश्चात, यह राय दी गई है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि ;

(1) यह अधिसूचित करना कि हड्डियों का चूर्ण, ओसीन और जिलेटिन निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण , निरीक्षण और मानीटरिंग के अधीन होंगे,

(2) अधिकथित हड्डियों का चूर्ण, ओसीन और जिलेटिन का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 2011 के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण , निरीक्षण और मानीटरी के प्रकार को प्रारुपानुसार विनिर्दिष्ट करना जो कि निर्यात से पूर्व हड्डियों का चूर्ण, ओसीन और जिलेटिन पर लागू होंगे ।

(3) मान्यता देना,

क. आयातकर्ता देशों के राष्ट्रीय मानक या अंतरराष्ट्रीय मानकों को ,

या

ख. विदेशी क्रेता और निर्यातकर्ता के मध्य करार पाए गए संविदात्मक विनिर्देश किए गए जो आयातकर्ता देशों की स्वास्थ्य तथा अन्य अपेक्षाओं को पूरा करते हों ,

और

ग. उपरोक्त खंड क और खंड ख में यथावर्णित किसी विनिर्देश की अनुपस्थिति में भारतीय मानक को ,

और

घ. उपरोक्त खंड क , ख और ग में यथावर्णित किसी विनिर्देश की अनुपस्थिति में निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा गठित किसी समिति द्वारा बनाए गए मानकों को ,

4. अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में, हड्डियों का चूर्ण, ओसीन और जिलेटिन का निर्यात प्रतिषिध्द होगा जब तक कि वह, केन्द्रीय सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए किसी अभिहित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के साथ होगा कि प्रसंस्करण स्थापन अभिहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित तथा मानीटर की जाती है, और हड्डियों का चूर्ण, ओसीन और जिलेटिन क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण से संबंधित स्थितियों से आश्वस्त हैं ।

[फा. सं. 3/61/2007-निर्यात निरीक्षण]

देविन्दर सिंह ढेसी, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

### (Department of Commerce)

### ORDER

New Delhi, the 3rd April, 2012

S.O. 725(E).—Whereas for the development of the export trade of India, certain proposals for subjecting Crushed Bones, Ossein and Gelatine to quality control and inspection prior to export, were published as required by sub rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 9th November 2011, under the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce number S.O. 2521 (E), dated 9th November 2011;

And, whereas, the objections and suggestions were invited from all persons likely to be affected thereby within a period of thirty days of the date of publication of the said Order in the Official Gazette;

And, whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on 9th November 2011;

And, whereas, no objections and suggestions were received from the public on the said draft;

And, whereas, it is necessary to maintain the highest quality standards and stipulate health requirements of importing countries and that would encompass the standards prescribed at National / International level;

And, whereas, provisions should, therefore, be made for a procedure for monitoring to ensure the above conditions of equivalence with reference to the requirements of the importing countries;

And, whereas, health requirements should be laid down for the production, storage and transport of Crushed bones, Ossein and Gelatine;

And, whereas, it is the responsibility primarily of the processors to ensure that Crushed Bones, Ossein and Gelatine should meet the health requirements laid down in this order;

And, whereas, the Central Government has formulated the proposal specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of the rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government after consulting the Export Inspection Council , being of the opinion that it is necessary and expedient to do so for the development of the export trade of India, hereby :-

(1) notifies that Crushed Bones, Ossein and Gelatine shall be subjected to quality control, inspection and monitoring prior to export;

(2) specifies that the type of quality control, inspection and monitoring shall be in accordance with the Export of Crushed Bones, Ossein and Gelatine (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2011, as the type of quality control, inspection and monitoring which shall be applied to such Crushed Bones, Ossein & Gelatine prior to export;

(3) recognizes;

a. national standards of the importing countries or the international standards,

Or

b. contractual specifications agreed to between the foreign buyer and the exporter provided that the same is satisfying the health and other requirements of the importing country,

And

c. in absence of any specifications as mentioned in clause a & b above, the Indian standards,

And

d. in absence of any specifications as mentioned in clause a, b & c above, the standards laid down by a committee constituted by the Export Inspection Council.

(4) prohibits the export, in the course of international trade, of such Crushed Bones, Ossein and Gelatine unless the same are accompanied by a certificate issued by an authority designated for the purpose by the Central Competent Authority to the effect that the processing establishment is approved and monitored by the designated Competent Authority and that the consignment of Crushed Bones, Ossein and Gelatine satisfies the conditions relating to its quality control and inspection.

[F. No. 3/61/2007-Export Inspection]

DEPINDER SINGH DHESI, Jt. Secy.